अनुदान संख्या 68 - सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
GRANT No. 68 - MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	20916, 00,00	23222,23,00	23177,55,55	-44,67,45
पूरक	Supplementary	2306,23,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				34,80,27
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-		506,00,00	406,33,17	-99,66,83
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				99,66,82

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ :–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
पूर्वोत्तर क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	200264.00			
पू.	S.	25061.00	1.97	..	-1.97
पु.	R.	-225323.03			
मुख्य शीर्ष "2851"	Major Head "2851"				
ग्राम और लघु उद्योग	Village and Small Industries				
मू.	O.	1888531.00			
पू.	S.	205562.00	2316325.18	2315341.16	-984.02
पु.	R.	222232.18			

(I) ₹225325.00 लाख का प्रावधान (दिसंबर, 2022 और मार्च, 2023 में प्राप्त ₹25061.00 लाख के अनुपूरक अनुदान सहित) मुख्य शीर्ष "2552" के तहत ग्यारह मामलों में पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹224326.00 लाख निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए :—

(का) "ग्राम और लघु उद्योग — खादी और ग्रामोद्योग — खादी का विकास, ग्राम एवं कॉयर उद्योग" — ₹4852.00 लाख (₹1.00 लाख के पूरक अनुदान सहित);

(खा) "ग्राम और लघु उद्योग — कॉयर उद्योग — खादी, ग्राम और कॉयर उद्योग का विकास" — ₹3390.00 लाख;

(गा) "ग्राम और लघु उद्योग — अन्य ग्राम उद्योग — प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) और अन्य क्रेडिट सहायता योजनाएं" — ₹25000.00 लाख;

(घा) "ग्राम और लघु उद्योग — लघु उद्योग" —

(क) "प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) और अन्य क्रेडिट सहायता योजनाएं" — ₹183063.00 लाख (₹25060.00 लाख के पूरक अनुदान सहित);

(ख) "बुनियादी ढांचा विकास कार्यक्रम" — ₹7022.00 लाख; और

(ग) "अनुसंधान और मूल्यांकन अध्ययन" — ₹999.00 लाख।

उत्तर पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं पर उपयोग के लिए कार्यात्मक शीर्षों के लिए धन के पुनर्विनियोजन के कारण उपरोक्त छह शीर्षों के तहत प्रावधान अप्रयुक्त रहे।

(I) Provision of ₹225325.00 lakhs (including supplementary grants of ₹25061.00 lakhs obtained in December, 2022 and March, 2023) remained wholly unutilised in eleven cases under Major Head "2552"; of these ₹224326.00 lakhs accounted for under the following heads:-

(A) "Village and Small Industries - Khadi and Village Industries - Development of Khadi, Village and Coir Industries" - ₹4852.00 lakhs (including supplementary grant of ₹1.00 lakh);

(B) "Village and Small Industries - Coir Industries - Development of Khadi, Village and Coir Industries" - ₹3390.00 lakhs;

(C) "Village and Small Industries - Other Village Industries - Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP) and Other Credit Support Schemes" - ₹25000.00 lakhs;

(D) "Village and Small Industries - Small Scale Industries" -

(a) "Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP) and Other Credit Support Schemes" - ₹183063.00 lakhs (including supplementary grant of ₹25060.00 lakhs);

(b) "Infrastructure Development Programme" - ₹7022.00 lakhs; and

(c) "Research and Evaluation Studies" - ₹999.00 lakhs.

Provisions under the above six heads remained unutilised due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) मुख्य शीर्ष "2851" के अंतर्गत – निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत बचत हुई :–

(का) "निदेशन और प्रशासन – सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास आयुक्त" – ₹653.83 लाख की बचत (₹3610.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरने, कम दौरे किए जाने और अन्य स्थापना संबंधी खर्चों के लिए कम धनराशि की आवश्यकता के कारण थी।

(खा) "लघु उद्योग" –

(क) "प्रौद्योगिकी उन्नयन और गुणवत्ता प्रमाणन" – एमएसएमई चौंपियन (एमएसएमई सस्टेनेबल एंड एमएसएमई इनोवेटिव) योजना के दिशानिर्देशों के अनुमोदन में देरी के कारण योजना के तहत कम प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण ₹1423.67 लाख (₹5526.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) की बचत हुई।

(ख) "बुनियादी ढांचा विकास कार्यक्रम" – ₹73904.70 लाख की बचत (₹138905.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) योजना के तहत कम प्रस्तावों की प्राप्ति और अन्य स्थापना संबंधी खर्चों के लिए कम धन की आवश्यकता के कारण थी।

(गा) "खादी और ग्रामोद्योग" –

(क) "खादी, ग्राम और कॉयर उद्योगों का विकास" – खादी ग्राम विकास योजना और मिशन सोलर चरखा योजना को बंद करना के तहत विभिन्न योजनाओं के लिए संशोधित परिचालन दिशानिर्देशों की देर से मंजूरी के कारण योजना के तहत कम प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण ₹2329.20 लाख की बचत (₹61806.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(II) Under Major Head "2851" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Direction and Administration - Development Commissioner of Micro, Small and Medium Enterprises" - saving of ₹653.83 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3610.00 lakhs) was due to non-filling up vacant posts, less tours undertaken and requirement of less funds towards other establishment related expenses.

(B) "Small Scale Industries" -

(a) "Technology Upgradation and Quality Certification" - saving of ₹1423.67 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5526.00 lakhs) was due to receipt of less proposals under the scheme owing to delay in approval of guidelines of MSME Champion (MSME Sustainable and MSME Innovative) Scheme.

(b) "Infrastructure Development Programme" - saving of ₹73904.70 lakhs (against the sanctioned provision of ₹138905.00 lakhs) was due to receipt of less proposals under the scheme and requirement of less funds towards other establishment related expenses.

(C) "Khadi and Village Industries" -

(a) "Development of Khadi, Village and Coir Industries" - saving of ₹2329.20 lakhs (against the sanctioned provision of ₹61806.00 lakhs) was due to receipt of less proposals under the scheme owing to delay in approval of revised operational guidelines for various schemes under Khadi Gram Vikas Yojana and closure of Mission Solar Charkha Scheme.

(ख) "प्रौद्योगिकी उन्नयन और गुणवत्ता प्रमाणन" – ₹948.00 लाख की बचत (₹1348.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) योजना कार्यान्वयन तंत्र में बदलाव के कारण योजना के तहत कम प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण हुई, जिसमें प्रस्ताव मूल्यांकन के लिए मेंटर संस्थान की भूमिका शुरू की गई थी।

(b) "Technology Upgradation and Quality Certification" - saving of ₹948.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1348.00 lakhs) was due to receipt of less proposals under the scheme owing to change in scheme implementation mechanism wherein role of Mentor Institute was introduced for proposal evaluation.

(घा) "कॉयर उद्योग – खादी, ग्राम और कॉयर उद्योगों का विकास" – ₹21581.00 लाख की बचत (₹30410.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(D) "Coir Industries - Development of Khadi, Village and Coir Industries" - saving of ₹21581.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹30410.00 lakhs); and

(डा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना" –

(E) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(क) "खादी, ग्राम और कॉयर उद्योगों का विकास" – ₹5360.23 लाख की बचत (₹10781.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

(a) "Development of Khadi, Village and Coir Industries" - saving of ₹5360.23 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10781.00 lakhs).

उपरोक्त दो शीर्षों के तहत बचत, कारीगरों के परिचय और अनिवार्य भौतिक सत्यापन के कारण योजना के अंतर्गत कम प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण हुई।

Savings under the above two heads were due to receipt of less proposals under the scheme owing to introduction of mandatory physical verification of artisans.

(ख) "बुनियादी ढांचा विकास कार्यक्रम" – ₹7376.00 लाख की बचत (₹10376.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(b) "Infrastructure Development Programme" - saving of ₹7376.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10376.00 lakhs); and

(ग) "अनुसंधान और मूल्यांकन अध्ययन" – ₹687.00 लाख की बचत (₹10002.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

(c) "Research and Evaluation Studies" - saving of ₹687.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10002.00 lakhs).

सूक्ष्म लघु उद्यमों द्वारा बिल एवं वाऊचर जमा न करने/देर से प्राप्त होने के कारण योजना के तहत कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण उपरोक्त दो शीर्षों के तहत बचतें हुईं।

Savings under the above two heads were due to receipt of less proposals under the scheme owing to non-submission/late receipt of bills and vouchers by Micro Small Enterprises.

(चा) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – खादी ग्राम और कॉयर उद्योगों का विकास" – ₹2684.92 लाख की बचत (₹5565.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) योजना के तहत कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण योजना कार्यान्वयन तंत्र में बदलाव के कारण हुई, जिसमें प्रस्ताव मूल्यांकन के लिए मेंटर संस्थान की भूमिका शुरू की गई है।

(F) "Tribal Area Sub-Plan - Development of Khadi, Village and Coir Industries" - saving of ₹2684.92 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5565.00 lakhs) was due to receipt of less proposals under the scheme owing to change in scheme implementation mechanism where in role of Mentor Institute was introduced for proposal evaluation.

(छा) "अन्य व्यय" –

(क) "उद्यमिता और कौशल विकास" – ₹890.87 लाख की बचत (₹3090.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(ख) "अनुसंधान और मूल्यांकन अध्ययन" – ₹870.41 लाख की बचत (₹2303.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

उपरोक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचत, योजना दिशानिर्देशों के अनुमोदन में देरी के कारण योजना के अंतर्गत कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(G) "Other Expenditure" -

(a) "Entrepreneurship and Skill Development" - saving of ₹890.87 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3090.00 lakhs); and

(b) "Research and Evaluation Studies" - saving of ₹870.41 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2303.00 lakhs).

Saving under the above two heads were due to receipt of less proposals under the scheme owing to delay in approval of schemes guidelines.

(II) तीन शीर्षो में ₹1190.07 लाख की बचत हुई, प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक की बचत हुई लेकिन ₹500.00 लाख से अधिक नहीं और स्वीकृत प्रावधान का 14 प्रतिशत से 61 प्रतिशत तक है।

(II) Under three heads savings of ₹1190.07 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 14 percent to 61 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपरोक्त बचत का आंशिक रूप से (₹341213.27 लाख) उपयोग पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए किया गया था, जैसा कि मुख्य शीर्ष "2851" के तहत निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत दिसंबर, 2022 और मार्च, 2023 में ₹230622.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय पहले ही संसद को सूचित किया गया था।

2.(I) The above savings were partly (₹341213.27 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹230622.00 lakhs in December, 2022 and March, 2023 under Major Head "2851" - under the following heads:-

(का) "लघु उद्योग" –

(क) "प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) और अन्य क्रेडिट सहायता योजनाएं" – ₹94834.00 लाख।

(A) "Small Scale Industries" -

(a) "Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP) and Other Credit Support Schemes" - ₹94834.00 lakhs.

(ख) "विपणन प्रोत्साहन योजना" – ₹462.27 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹355.65 लाख था।

(b) "Marketing Promotion Scheme" - ₹462.27 lakhs. Actual excess, however, was ₹355.65 lakhs.

(खा) "अन्य ग्रामोद्योग – प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) और अन्य क्रेडिट सहायता योजनाएं" – ₹27676.00 लाख।

(B) "Other Village Industries - Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP) and Other Credit Support Schemes" - ₹27676.00 lakhs.

(गा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) और अन्य क्रेडिट सहायता योजनाएं" – ₹134927.00 लाख।

(C) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP) and Other Credit Support Schemes" - ₹134927.00 lakhs.

(घा) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) और अन्य क्रेडिट सहायता योजनाएं" – ₹83314.00 लाख।

(D) "Tribal Area Sub-Plan - Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP) and Other Credit Support Schemes" - ₹83314.00 lakhs.

(II) मुख्य शीर्ष "2851" – "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – अनुसंधान और मूल्यांकन अध्ययन" – ₹883.00 लाख का अधिक व्यय (₹2002.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उत्तर पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं पर उपयोग के लिए मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्ष में धनराशि के पुनर्विनियोग के कारण था।

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "2851" - "Tribal Area Sub-Plan - Research and Evaluation Studies" - excess of ₹883.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2002.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ :–

3. In the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "4552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	4900.00	..	..	..
पु.	R.	-4900.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4851" ग्राम और लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4851" Capital Outlay on Village and Small Industries				
मू.	O.	45700.00	40633.18	40633.17	-0.01
पु.	R.	-5066.82			

(I) मुख्य शीर्ष "4552" – "लघु उद्योग – निधियों का कोष" के अंतर्गत एक मामले में ₹4900.00 लाख का प्रावधान उत्तर पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं / योजनाओं पर उपयोग के लिए कार्यशील शीर्षों में आंशिक निधियां का पुनर्विनियोजन होने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण पूरी तरह अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹4900.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under Major Head "4552" - "Small Scale Industry - Fund of Funds" - due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on projects / schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) मुख्य शीर्ष "4851" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :–

(II) Under Major Head "4851" - savings occurred under the following heads:-

(का) "लघु उद्योग – अवसंरचना स्थापना डी सी (एमएसएमई)" – ₹645.33 लाख की बचत (₹2000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना मे) हुई;

(A) "Small Scale Industries - Infrastructure Establishment DC (MSME)" - saving of ₹645.33 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2000.00 lakhs);

(खा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – निधियों का कोष" – ₹2886.39 लाख की बचत (₹8200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना मे) हुई; और

(B) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Fund of Funds" - saving of ₹2886.39 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8200.00 lakhs); and

(गा) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना – निधियों का कोष" – ₹1840.95 लाख की बचत (₹4200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना मे) हुई।

(C) "Tribal Area Sub-Plan - Fund of Funds" - saving of ₹1840.95 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4200.00 lakhs).

उपरोक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचत, योजना मांग आधारित होने की वजह से कार्यान्वयन एजेंसियों से कम व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण थी।

Savings under the above three heads were due to receipt of less viable proposals from the implementing agencies, scheme being demand driven.